सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 853 राँची, गुरुवार, 18 कार्तिक, 1938 (श०)

9 नवम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 सितम्बर, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्त्ता, निगरानी ब्यूरो, राँची का पत्रांक-7034, दिनांक 27 जून, 2014
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9002, दिनांक 8 सितम्बर, 2014, संकल्प सं०-1108, दिनांक 10 फरवरी, 2015, संकल्प संख्या-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 एवं पत्रांक-1769, दिनांक 26 फरवरी, 2016
3. उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक-957/स्था०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-274/2015, दिनांक 30 नवम्बर, 2015
5. सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-1892, दिनांक 23 अगस्त, 2017

संख्या-5/आरोप-1-779/2014 का.- 9689-- श्री उमाशंकर प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-588/03, गृह जिला-गुमला), के जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि से संबंधित पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्त्ता, निगरानी ब्यूरो, राँची के पत्रांक-7034, दिनांक 27 जून, 2014 द्वारा सूचित किया गया कि श्री उमाशंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०-22/2011, दिनांक 17 अगस्त, 2011 (विशेष वाद सं०-30/11ए) दर्ज है, जिसमें ये प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये हैं । इस कांड में निगरानी कोर्ट द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया है एवं ये गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कर्त्तव्य स्थान उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पद से फरार चल रहे हैं ।

पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्त्ता, निगरानी ब्यूरो, राँची से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय पत्रांक-8995, दिनांक 8 सितम्बर, 2014 द्वारा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड से श्री प्रसाद के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव तथा विभागीय पत्रांक-9002, दिनांक 8 सितम्बर, 2014 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-957/स्था०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त प्रपत्र-'क' एवं निगरानी ब्यूरो द्वारा कांड से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को विभागीय स्तर से प्रपत्र-'क' में पुनर्गठित किया गया, जो निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 श्री उमाशंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ड्राईविंग लाईसेंस, स्मार्ट कार्ड, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन टैक्स इत्यादि में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने में जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग के कर्मियों को सहयोग किया गया एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टचार में संलिप्त रहे, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है ।

आरोप सं०-2 निगरानी थाना कांड सं०-20/11 (विशेष वाद सं०-30/11(ए०)) दिनांक 17 अगस्त, 2011 में श्री उमा शंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरूद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान उप विकास आयुक्त, गढ़वा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-1108, दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । पुनः,

विभागीय संकल्प संख्या-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-274/2015, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया । विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 पर बचाव-बयान- आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग में श्री सुनील कुमार एवं श्री प्रदीप कुमार के नाम का कोई व्यक्ति संविदा पर अथवा दैनिक कर्मी के रूप में तैनात नहीं थे । कार्यालय में केवल कम्प्यूटर शाखा में 02 दैनिक कर्मी परिवहन आयुक्त के आदेश से संविदा पर रखे गए थे । DTO कार्यालय में कार्यालय की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरा भी आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल में अधिष्ठापित कराया गया था । अपने घर पर रूद्राभिषेक पूजा कार्यक्रम में भाग लेने हेतु उन्होंने 31 जुलाई, 2011 एवं 1 अगस्त, 2011 का अवकाश आवेदन उपायुक्त, हजारीबाग को दिनांक 27 जुलाई, 2011 को समर्पित किया था । दिनांक 30 जुलाई, 2011 को पुनः अचानक उनके बड़े भाई की बीमारी की सूचना मिलने पर उन्होंने 30 जुलाई, 2011 को अवकाश का आवेदन उपायुक्त, हजारीबाग को देकर अवकाश पर चले गए थे । इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानी दल द्वारा छापामारी की तिथि को वे उपायुक्त, हजारीबाग से अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश में थे । निगरानी छापा दल के द्वारा जिला परिवहन कार्यालय में श्री सुनील कुमार से बरामद Driving Licence 950/10 दिनांक 8 मार्च, 2010 जो श्री सेवा साहू के नाम से निर्गत है, के संबंध में उनका कहना है कि यह लाईसेंस उनके कार्यकाल से पूर्व का निर्गत है । निगरानी छापा दल के छापामारी के दौरान उनके विरूद्ध किसी व्यक्ति से अवैध राशि की माँग करने अथवा अवैध राशि उन्हें भुगतान करने के संबंध में प्रमाण नहीं है । निगरानी छापा दल के छापामारी के पूर्व 20 जुलाई, 2011 को श्री विष्णु शर्मा, प्रबंधक, हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी दिनांक 20 जुलाई, 2011 को उनके कार्यालय में आए थे तथा उन पर दबाव डालकर काम कराना चाह रहे थे जिसकी शिकायत उन्होंने सदर थाना हजारीबाग में अपने पत्रांक 6074 दिनांक 20 जुलाई, 2011 से किया था । श्री शर्मा के द्वारा बदनीयती से उन्हें गलत तरीके से फँसाने की नीयत से निगरानी ब्यूरो में शिकायत की गयी है एवं निगरानी दल के द्वारा छापामारी किया गया है । आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि निगरानी छापा दल के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति से न तो राशि की मांग की गयी है और न ही राशि प्राप्त किया गया है और न ही उनके पास से ऐसी किसी राशि की बरामदगी हुई है । अतः उनके विरूद्ध गठित यह आरोप सही नहीं है ।

आरोप सं०-2 पर बचाव-बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वे दिनांक 4 फरवरी, 2015 तक उप विकास आयुक्त, गढवा के पद पर कार्यरत रहे हैं । 17 जून, 2014 को निगरानी दल द्वारा गिरफ्तारी वारंट तामिला कराने की कार्रवाई की उन्हें कोई जानकारी नहीं है । अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में उनके विरूद्ध उपायुक्त, गढ़वा के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत या प्रतिवेदन राज्य सरकार को नहीं भेजी गयी है । इस अवधि में वे लगातार अपने कर्त्तव्य पर रहकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करते रहे हैं । सिंतबर-अक्टूबर, 2014 माह में झारखंड विधानसभा चुनाव कार्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक-977, दिनांक 9 सितम्बर, 2014 से उनकी प्रतिनियुक्ति वरीय पदाधिकारी के रूप में क्रमशः कार्मिक कोषांग, SVEEP कोषांग तथा हेल्पलाईन एवं शिकायत कोषांग में की गयी थी । इस प्रतिनियुक्ति आदेश के आलोक में संबंधित कोषांग का कार्य निष्पादन उनके द्वारा किया गया है ।

विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा गठित मंतव्य एवं निष्कर्ष निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 का निष्कर्ष- श्री उमाशंकर प्रसाद, झा०प्र०से०, के जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग की पदस्थापन अवधि में दिनांक 30 जुलाई, 2011 को निगरानी छापा दल के द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग में भ्रष्टाचार व्याप्त रहने की सूचना प्राप्त होने पर छापामारी की गयी । इस छापामारी के दौरान जिला परिवहन कार्यालय में श्री सुनील कुमार के पास से 11790.00 रूपये नकद तथा इनके काठ के बक्सा से विभिन्न व्यक्तियों के नाम से तैयार 39 ड्राईविंग लाईसेंस एवं ट्रैक्टर/टेलर का रजिस्ट्रेशन फार्म बरामद किया गया । उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति श्री प्रदीप कुमार के पास से 5070.00 रूपये नकद तथा विभिन्न व्यक्तियों के नाम से 08 ड्राईविंग लाईसेंस का फॉर्म बरामद किया गया । छापामारी दल के समक्ष उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ड्राईविंग लाईसेंस बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 600.00 रूपये है लेकिन जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग में उनके द्वारा 1200.00 रूपये प्रति व्यक्ति वसूली की जाती है जिसमें से 600.00 रूपये सरकारी कोष में जमा होता है । शेष 600.00 रूपये का बंटवारा DTO, MVI, DTO के Staff के बीच किया जाता है। निगरानी छापा दल के द्वारा किए गए छापामारी के आधार पर दर्ज निगरानी थाना कांड सं. 22/2011 के अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल में जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग में भ्रष्टाचार व्याप्त था । निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली दलालों के द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने एवं वाहनों के निबंधन कार्य के लिए किया जाता था । इस अवैध वसूली की राशि में से DTO, MVI, DTO के Staff को राशि प्राप्त होती थी । इसकी पुष्टि जिला परिवहन कार्यालय में छापामारी के दौरान श्री सुनील कुमार एवं प्रदीप कुमार के द्वारा की गयी है । साथ ही, कांड के अनुसंधान के दौरान दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरर

श्री अमल तुल्य आनंद एवं श्री सतीश कुमार के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है जिसका उल्लेख कांड दैनिकी के क्रमांक-7 एवं 8 दिनांक 5 अगस्त, 2014 पर है । निगरानी दल के द्वारा छापामारी के दौरान गिरफ्तार किए गए एक दलाल को विधिवत जिला परिवहन कार्यालय में बैठने की सुविधा तथा कागजात रखने हेतु एक काठ का बक्सा भी उपलब्ध कराया गया था, जिस बक्सा में से विभिन्न व्यक्तियों का Driving Licence तथा Driving Licencse /वाहन निबंधन का कागजात छापामारी के दौरान बरामद किया गया था । छापामारी के दौरान प्राप्त तथ्य एवं अनुसंधान के दौरान प्राप्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग में दलालों के माध्यम से अवैध राशि की वसूली की जा रही थी । अवैध वसूली की राशि में से जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य कार्यालय कर्मी को भी राशि मिलती थी । कार्यालय परिसर में दलालों के माध्यम से जारी भ्रष्टाचार को रोकने में आरोपित पदाधिकारी असफल रहे हैं। आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-2 का निष्कर्ष- आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अपने बचाव में रखे गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी वारंट के तामिला हेतु अनुसंधान पदाधिकारी के गढ़वा पहुँचने पर आरोपित पदाधिकारी अपने कार्यालय/आवास में नहीं पाए गए थे । उक्त तिथि (17 जून, 2014) को उनके अवकाश पर रहने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है । परंतु श्री प्रसाद दिनांक 4 फरवरी, 2015 तक उप विकास आयुक्त, गढवा के पद पर कार्यरत रहे हैं । उनके नियंत्री पदाधिकारी उपायुक्त, गढवा के द्वारा श्री प्रसाद के गिरफ्तारी से बचने हेतु अपने कत्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई प्रतिवेदन राज्य सरकार को नहीं भेजी गयी है । अतः आरोप संख्या-2 प्रमाणित नहीं होता है ।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार व्याप्त था । दलालों के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं वाहन के निबंधन कार्य में निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा लिया जाता था तथा अवैध रूप से अधिक वसूली की गयी राशि का बँटवारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं जिला परिवहन कार्यालय के कर्मियों के बीच होता था ।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री प्रसाद को गुरूत्तर दण्ड अर्थात नीचे के पद पर पदावनति का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में द्वितीय कारण पृच्छा करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ । तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-1769, दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक 2 मार्च, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि इन्होंने

द्वितीय कारण पृच्छा में मुख्यतः उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो विभागीय कार्यवाही के दौरान बचाव बयान के रूप में विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया था । इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कुछ भी नया तथ्य या साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कि प्रमाणित आरोप को खंडित किया जा सके । श्री प्रसाद के विरूद्ध परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की विफलता के आरोप प्रमाणित होते हैं। इस पूरे प्रकरण से राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है ।

समीक्षोपरांत, श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 ;अपपपद्ध के आलोक में श्री प्रसाद को गुरूत्तर दण्ड अर्थात् नीचे के पद पर पदावनति का दंड निम्नवत् शर्तों के साथ अधिरोपित किया जाता है-

(i) श्री उमा शंकर प्रसाद, झा०प्र०से०, कोटि क्रमांक-588/03, (सेवानिवृत्ति की तिथि-30 अप्रैल, 2022) वर्तमान में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान 15600-39100/-, ग्रेड पे० 7600, पुनरीक्षित वेतनमानः लेवल-12) में कार्यरत हैं, को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (वेतनमान 15600-39100/-, ग्रेड पे० 6600, पुनरीक्षित वेतनमानः लेवल-11) में पदावनत किया जाता है ।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद में पदावनत की अवधि पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी ।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में श्री प्रसाद की वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

(iv) पदावनत कोटि के अनुसार वेतनमान/वेतनवृद्धि निर्धारित होगी । यदि उन्हें सुनिश्चित वृति उन्नयन (ACP) संशोधित (MACP) प्राप्त है तो वेतनमान/वेतनवृद्धि तद्नुसार अपरिवर्तित रहेगी ।

उक्त दण्ड अधिरोपण हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की सहमति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 853-50